

राजस्थान सरकार

शिक्षा-विभाग

निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 7 (4) अकाद/निकाशि/2012/ 242

दिनांक: 31 अक्टूबर 2012

1. प्राचार्य, राजकीय राजर्षि महाविद्यालय, अलवर
2. प्राचार्य, राजकीय शोभा राम कला महाविद्यालय, अलवर
3. प्राचार्य, राजकीय गौरी देवी महिला महाविद्यालय, अलवर
4. प्राचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय, अलवर
5. प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, राजगढ़ (अलवर)
6. प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, बहरोड (अलवर)
7. प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, बीबीरानी (अलवर)
8. प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, थानागाजी (अलवर)
9. प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, गोविन्दगढ़ (अलवर)

विषय- तारांकित प्रश्न संख्या: 247/शिक्षा द्वारा माननीय सदस्य श्री ज्ञानदेव आहूजा (68)

महोदय,

कृपया निम्नांकित विधान सभा प्रश्न के बिन्दु संख्या 2 व 3 की सूचना फैंक्स नं. 0141-2706550 पर अविलम्ब भिजवाने का कष्ट करें-

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
1	सरकार द्वारा शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में तम्बाकू, गुटखा एवं अन्य नशीले उत्पादों के विक्रय पर रोक लगाये जाने वाले नियमों की पालना हेतु क्या व्यवस्था की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।	
2	क्या यह सही है कि जिला अलवर में शिक्षण संस्थानों, सरकारी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में बाहर लग रही चाय की थड़ी पर तम्बाकू, बीड़ी, गुटखा सुपारी हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी रोकने हेतु कार्य योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या?	
3	जिला अलवर में शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में बेचे जा रहे प्रतिबंधित उत्पादों की रोकथाम हेतु विभाग द्वारा कब-कब एवं कहां-कहां निरीक्षण किया गया एवं कार्यवाही की गयी? जनवरी, 2011 से सितम्बर, 2012 तक की गयी कार्यवाही एवं निरीक्षण की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।	

भवदीय,

डॉ. निभाजी

संयुक्त निदेशक

कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

दिनांक: 31 अक्टूबर 2012

क्रमांक: एफ 7 (4) अकाद/निकाशि/2012/ 242

✓ प्रतिलिपि डॉ. धीरेन्द्र देवर्षि, वेबसाईट प्रभारी, निदेशालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

डॉ. निभाजी

संयुक्त निदेशक

कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर